रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225220 CG-DL-E-17022021-225220

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664] No. 664] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

### अधिसचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

सं. 17/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 719(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की उपधारा (2) के उपनियम (अ) के साथ पठित धारा 158 की उपधारा (2) के उपनियम (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड,एतद्द्वारा,शुल्क की लेवी (सीमाशुल्क दस्तावेज) विनियमन, 1970 में संशोधन करके निम्नलिखित विनियमन करती है,यथा:-

- 1. (1) ये विनियमन शुल्क की लेवी (सीमाशुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियमन, 2021 कहे जाएंगे।
  - (2) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. उक्त विनियमन में, विनिमयन 3 में, सारणी में, क्र. सं. (ix) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.स. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(x)	सीमाशुल्क ऑटोमेटेड प्रणाली में शीपिंग बिल और जीएसटी रिटर्न के	1000.00रु।"
	बीच बेमेल की हैंडलिंग	

[फा. सं. 450/119/2017-कस्टम IV] आनंदा रथाकृष्णन, उप सचिव

987 GI/2021 (1)

टिप्पणी: प्रधान विनियमन जिसे का.आ. सं. 4018, दिनांक 26 दिसंबर, 1970 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 36/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के तहत किया गया था जिसे का.आ. 1155 दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2021

No. 17/2021-Customs (N.T.)

- **S.O. 719(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 157, read with clause (i) of sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Levy of Fees (Customs Documents) Regulations, 1970, namely: -
- 1. (1) These regulations may be called the Levy of Fees (Customs Documents) Amendment Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said regulations, in regulation 3, in the Table, after serial number (ix) and the entries relating thereto, following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"(x)	Handling of mismatch between Shipping Bill and GST returns	Rs. 1000.00."
	in Customs Automated System	

[F. No. 450/119/2017-Cus. IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

**Note:** The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O 4018, dated the 26<sup>th</sup> December, 1970 and was last amended vide notification no 36/2017-Customs (N.T) dated 11<sup>th</sup> April, 2017 published vide number S.O 1155 dated the 11<sup>th</sup> April, 2017.